जिला जन सम्पर्क कार्यालय, गिरिडीह।

प्रेस विज्ञप्ति

गिरिडीह जिलान्तर्गत 29–बगोदर/30–जमुआ/31–गाण्डेय/32–गिरिडीह एवं 33–डुमरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त मतदान कर्मी निर्धारित तिथि को समय प्रातः 06:00 बजे डिस्पेच सेन्टर पर योगदान देने का निदेश जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– उपायुक्त, डॉ0 मुकेश कुमार वर्मा (भा.प्र.से.) ने दिया है। उन्होंने कहा कि यदि मतदान कर्मी समय परयोगदान नहीं देते हैं तो उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा तथा ऐसे कर्मियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई की जायेगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारियों को कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की गयी है। बगोदर विधान सभा के लिए 79, जमुआ के लिए 66, गाण्डेय के लिए 64, गिरिडीह के लिए 62 एवं डुमरी के लिए 32 सेक्टर पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किये गये हैं। ये सभी पदाधिकारी दण्डाधिकारी के शक्तियों का उपयोग करेंगे तथा चुनाव के दौरान उचित कार्रवाई करने का निदेश दिया है।